(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क

अधिसूचना सं. 64/2018- केंद्रीय कर

नई दिल्ली, 29 नवंबर, 2018

सा.का.नि. (अ) ._ केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), सं. 43/2018- केंद्रीय कर, तारीख 10 सितंबर, 2018 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 854,(अ) तारीख 10 सितंबर, 2018, को प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 में, दूसरे परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

" परन्तु यह और कि जुलाई, 2018 से सितंबर, 2018 तक तिमाही के लिए केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटीआर -1 में माल या सेवा या दोनों की जावक पूर्ति के विवरण रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए जिनके कारबार का मूल स्थान आंध्र प्रदेश राज्य में श्रीकाकुलम जिले में है, इलेक्ट्रॉनिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से, 30 नवंबर, 2018 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा।“

(फाइल संख्या 20/06/17/2018-जीएसटी (भाग-I)

(डॉ. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव भारत सरकार

टिप्पण - मूल अधिसूचना सं. 43/2018, तारीख 10 सितंबर, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण, संख्या जी.एस.आर. 854,(अ) तारीख 10 सितंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था।